कार्यालय जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, हरिद्वार।

संख्याः– 459/25–33/लो0स0सा0नि0–09, दिनांक 10 अप्रैल, 2009।

सेवा में,

1–समस्त सहायक रिटर्निंग आफिसर,
लो0स0सा0नि0–09, जनपद–हरिद्वार।
2–समस्त प्रभारी अधिकारी,
लो0स0सा0नि0–09, जनपद–हरिद्वार।

विषयः– लोक सभा सामान्य निर्वाचन–2009 हेतु आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रम का प्रेषण।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मुझे यह कहना है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा सामान्य निर्वाचन हेतु कार्यक्रम की घोषणा दिनांक 02 मार्च, 2009 को की जा चुकी है। आयोग द्वारा 05–हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

1–	अधिसूचना जारी होने का दिनांक	17–04–2009
2–	प्रारूप–1 पर निर्वाचन की सूचना जारी होने का दिनांक	17–04–2009
3–	नाम निर्देशन करने की अन्तिम तारीख	24–04–2009
4–	नाम निर्देशनों की संवीक्षा की तारीख	25–04–2009
5–	अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख	27–04–2009
6–	मतदान का दिनांक	13–05–2009
	समय	07.00 बजे पूर्वान्ह से 05.00 बजे अपरॉन्ह
7–	मतगणना का दिनांक	16–05–2009
8–	निर्वाचन पूर्ण होने का दिनांक	28–05–2009

आयोग द्वारा निर्धारित कार्यक्रमानुसार दिनांक 17–04–2009 को जिलाधिकारी/रिटर्निंग आफिसर, 05–हरिद्वार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र द्वारा निर्वाचन की सूचना प्रारूप–1 पर जारी की जाएगी। नामांकन सम्बन्धी समस्त कार्यवाही जिला मुख्यालय, रोशनाबाद में सम्पादित की जाएगी। दिनांक 27–04–2009 को अभ्यर्थिताएं वापस लेने की अन्तिम तारीख के पश्चात डाक मतपत्रों की स्थानीय प्रेस में तथा साधारण मतपत्रों की छपाई राजकीय मुद्रणालय, रूड़की में की जाएगी।

अतः निर्वाचन से सम्बन्धित विभिन्न व्यवस्थाओं को समयान्तर्गत निष्पादित कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(सुरेन्द्र नारायण पाण्डेय)
अपर जिलाधिकारी/
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।

प्रतिलिपिः– समस्त जोनल/सेक्टर, अधिकारियों/मजिस्ट्रेटों को इस आशय के साथ प्रेषित कि जोनल/सेक्टर अधिकारियों/मजिस्ट्रेटों के लिए जारी निर्देश संख्या–337/लो0स0सा0नि0–09 दिनांक 25 मार्च, 2009 में जहां कहीं मतदान का समय प्रातः 08.00 बजे अंकित है, उसे प्रातः 07.00 बजे पढ़ा जाए।

अपर जिलाधिकारी/
उप जिला निर्वाचन अधिकारी,
हरिद्वार।